राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)(15)नियम/डीएलबी/17/11308 जयपुर दिनांक 26/04/17

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान गर्वमेन्ट ग्रान्ट एक्ट,1961(वर्ष 1961 का अधिनियम सं. 20) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(167) नियम/डीएलबी/06/6181 दिनांक 22.01.2010 में राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन करते हुए पट्टा जारी करने हेतु एम्पावर्ड समिति को शक्तियां प्रत्यायोजित करती है:–

(क) सामान्य व्यक्ति का कब्जे के संदर्भ में कट ऑफ डेट 01.01.1990 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कट ऑफ डेट 01.01.96 निर्धारित की जाती है।

(ख) यदि भूखण्ड पर नीचे दुकान ऊपर मकान है या भूखण्ड का आंशिक रूप से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है तो उसके आवासीय/मिश्रित का पट्टा जारी किया जावेगा।

यह छूट मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना (दिनांक 10.05.17 से 10.07.17) के दौरान तथा दिनांक 10.07.17 के पश्चात भी इस योजना में दी गई सुविधाएं एवं रियायतें यथावत रहेगी जिसके अर्न्तगत अग्रिम आदेश तक कार्यवाही की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(15)नियम/डीएलबी/17/11309-11773 जयपुर, दिनांकः 26/04/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज
09. स्थान जयपुर
10. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\15.Order.doc

Scanned by CamScanner